भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082020-220868
CG-DL-E-06082020-220868

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण् ड 4
PART III—Section 4
प्रकाशित से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2020

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वैचित्र्य समापन प्रक्रिया) (ूसरा संशोधन) विनियम, 2020

सं. 311] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/ श्रावण 14, 1942
No. 311] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SRAVANA 14, 1942

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वैचित्र्य समापन प्रक्रिया) (ूसरा संशोधन) विनियम, 2020

सं. आई.बी.आई./2020-21/बी.एन./आर.ई.जी.063—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संस्थान, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (र) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(वैचित्र्य समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निर्मलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. (1) इन विनियमों का संधिमान भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वैचित्र्य समापन प्रक्रिया) (ूसरा संशोधन) विनियम, 2020 है।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वैचित्र्य समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 5 के स्थान पर निर्मलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:

“5. परिसमापक की नियुक्ति

(1) कार्यालय व्यक्ति, विनियम 6 के अधीन रहते हुए, किसी दिवाला व्यावसायिक को परिसमापक के रूप में नियुक्त करेगा और जहां वहीं भी अपेक्षित हो, यथास्थिति, धारा 59 की उपधारा (3) के खंड (र) या विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (र) के अधीन पारित संकल्प द्वारा किसी अन्य दिवाला व्यावसायिक को परिसमापक के रूप में नियुक्त करके उसे प्रतिस्थापित कर सकेगा।
Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2020

No. IBBI/2020-21/GN/REG.063.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017, namely:

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017, for regulation 5, the following regulation shall be substituted, namely:

“5. Appointment of liquidator.

(1) Subject to regulation 6, the corporate person shall appoint an insolvency professional as liquidator, and, wherever required, may replace him by appointing another insolvency professional as liquidator, by a resolution passed under clause (c) of sub-section (3) of section 59 or clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 3, as the case may be:

Provided that such resolution shall contain the terms and conditions of appointment of the liquidator, including the remuneration payable to him.

(2) The insolvency professional shall, within three days of his appointment as liquidator, intimate the Board about such appointment.”.

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson
[ADVT. /III/4/Exty. /168/2020-21]